18 साल से कम उम्र के लोगों को धूम्रपान की चीजों की बिक्री तथा सप्लाई

धूम्रपान-मुक्त वातावरण अधिनियम 1990 की आवश्यकताएं

दुकानदारों के लिए जानकारी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- सिगरेट, तम्बाकू, खिलौने वाले तम्बाकू की चीजें तथा जड़ी-बूटियों से बने धूम्रपान के उत्पादनों की बिक्री और सप्लाई पर प्रतिबन्ध
- **18 साल से कम [उम्र के लोगों] को बिक्री, अपराध तथा जुर्माने।**

नाबालिगों की धूम्रपान करने की दर वयस्क लोगों की धूम्रपान की दर से ज्यादा कम नहीं है तथा छोटी उम्र में किया गया प्रयोग जीवनभर की धूम्रपान की [बुरी]लत में बदल सकता है । धूम्रपान-मुक्त वातावरण संशोधन अधिनियम 2003 (अधिनियम) का उद्देश्य बच्चों तथा युवाओं को तम्बाकू की चीजों के सम्पर्क में आने से कम करना तथा उनके प्रयोग से होने वाली हानि को कम करना है। इसका अभिप्राय है वास्तविक रूप से धूम्रपान-मुक्त जीवन का **अनुकूल तथा आदर्श रूप से प्रचार करना और युवाओं द्वारा धूम्रपान की आदत शुरू करने की दर में कमी लाना।**

दुकानदारों के लिए प्रमुख परिवर्तन (दिसम्बर 2003 से लागू)

18 साल से कम उम्र के लोगों को (इसकी) बिक्री पर प्रतिबन्ध

सिगरेट, तम्बाकू, खिलौने वाले तम्बाकू की चीजों तथा जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजों को 18 साल से कम उम्र के लोगों (नाबालिगों) को बेचना निषिद्ध है।

18 साल से कम उम्र के लोगों को (सार्वजनिक स्थान में) सप्लाई पर प्रतिबन्ध

(सार्वजनिक स्थान में) नाबालिगों को सिगरेट या तम्बाकू की चीजें सप्लाई करना निषिद्ध है, उदाहरण के तौर पर छोटी उम्र के लोगों के आधार पर या (के लिए) सिगरेट खरीदना तथा दुकान से बाहर 18 साल से कम उम्र वालों को सिगरेट देना।

सार्वजनिक सूचनाएं

सिगरेट, तम्बाकू, या जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजों को बेचने वाले दुकानदारों के लिए यह लिख कर लगाना जरूरी है कि सिगरेट, तम्बाकू तथा जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजों तथा जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजों को 18 साल से कम उम्र के लोगों को बेचना निषिद्ध है। ('जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजें' तथा 'खिलौना तम्बाकू के पदार्थ' की परिभाषा के लिए नीचे देखें।)

18 साल से कम उम्र के लोगों को बिक्री के लिए प्रतिरक्षा

यह अधिनियम उन दुकानदारों को जो नाबालिगों को बिक्री के अभियोगी हैं, बचाव प्रदान करता है बशर्ते कि वे यह सिद्ध कर सकें कि उन्होंने 'उम्र का प्रमाण-पत्र' नामक कागजात को देखा था जिसमें यह लिखा गया था कि ग्राहक की उम्र 18 साल या उससे अधिक है।

पहचान-पत्र के सबूत के प्रकार सेल ऑफ लिकर एक्ट 1989 के समान ही हैं। इनमें ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या HANZ 18+ कार्ड शामिल हैं। ये सभी फोटो वाले पहचान-पत्र हैं।

जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजें

धूम्रपान की चीजों की परिभाषा में अब जड़ी-बूटियों से बनी सिगरेटें भी शामिल हैं।

जड़ी-बूटियों से बनी सिगरेटों को कुछ लोगों द्वारा तम्बाकू के 'सुरक्षित', व्यसन-मुक्त विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है क्योंकि इनमें निकोटीन नहीं होता। परन्तु इनमें समान स्तर में (मात्रा में) तम्बाकू की चीजों के हानिकारक पदार्थ जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड तथा तारकोल, जो कैंसर और सांस की बीमारियों में योगदान देते हैं।

दिसम्बर 2003 से अधिकतर सभी नियंत्रण तथा प्रतिबन्ध जो तम्बाकू की चीजों पर लागू होते हैं, जैसे कि 18 साल से कम के लोगों के लिए अपेक्षाएं (जरूरतें)/सीमाएं तथा विक्रय-मशीन की सप्लाई आदि, अब जड़ी-बूटियों से बनी धूम्रपान की चीजों पर भी लागू होते हैं।

खिलौना तम्बाकू के पदार्थ

इस अधिनियम के अन्तर्गत खिलौना तम्बाकू पदार्थ वह चीज है जो तम्बाकू की चीज जैसी दिखाई देती है या धूम्रपान करने वाले का पाइप तथा जिसका प्रयोग धूम्रपान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है परन्तु जिसका प्रयोग धूम्रपान के लिए नहीं किया जा सकता, जो मिठाई नहीं है, तथा जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धूम्रपान करने से रोकने के अतिरिक्त कुछ और ही है।

दिसम्बर 2003 से 18 साल से कम उम्र के लोगों को खिलौना तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।

अपराध तथा जुर्माने

नाबालिगों को तम्बाकू की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को 2,000 डॉलर तक का जुर्माना किया जा सकता है।

जो दुकानदार बार-बार नाबालिगों को तम्बाकू की चीजें बेचते हैं उनें तीन महीने तक किसी को भी तम्बाकू बेचने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

'आवर्तक अपराधी' (रिपीट ओफेन्डर) वह दुकानदार है जिसे दो साल के दौरान कम से कम दो बार 18 साल से कम के ग्राहक को तम्बाकू की चीजें बेचने का अपराधी पाया गया है। यह प्रावधान 10 मार्च 2004 से लागू है।

यदि कोई दुकानदार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता तो उस पर 4,000 डॉलर (व्यक्तिगत) या 10,000 डॉलर (कॉरपोरेशन) का जुर्माना किया जा सकता है।

प्रवर्तन या लागू करना (इन्फोर्समेन्ट)

मार्च 2004 से निर्दिष्ट इन्फोर्समेन्ट अधिकारियों को शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के सीमित अधिकार दिए गए हैं जैसे कि :

- उपयुक्त समय पर भवन में प्रवेश और उसकी जाँच-पड़ताल करना
- फोटो लेना या वीडियो बनाना
- विज्ञापन या प्रदर्शन की सामग्री का निरीक्षण करन।।

अवरोधन

इन्फोर्समेंट अधिकारियों की उनके अधिकारों के उपयोग में बाधा डालने या माँगी गई जानकारी नहीं देने का अधिकतम जुर्माना 1000 डालर है।

अतिरिक्त जानकारी

यह जानकारी केवल गाइड-पुस्तक के रूप में है तथा हो सकता है यह सभी परिस्थितियों के लिए उचित/उपयुक्त नहीं हो। इसका प्रयोग कानूनी तौर पर या विशेषज्ञ सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए।

2004 के दौरान ऐसी अतिरिक्त पुस्तिकाएं जिनमें दुकान में डिस्प्ले के प्रावधानों तथा काम की जगह पर दुकानदारों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, उपलब्ध कराए जाएंगे।

तम्बाकू, स्वास्थ्य तथा धूम्रपान-मुक्त वातावरण अधिनियम 1990 के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :

www.smokefreelaw.co.nz
www.moh.govt.nz
www.healthed.govt.nz

आपके स्थानीय डिस्ट्रिक्ट हैल्थ बोर्ड (जिला स्वास्थ्य मंडल) में पब्लिक हैल्थ सर्विस (सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा)

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से सम्पर्क का पता :

smokefree auahi kore

MINISTRY OF HEALTH
MANATŪ HAUORA

NEW ZEALAND. DECEMBER 2004. REPRINTED NOVEMBER 2006. CODE 1627. HINDI.